तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/3572/2004/राजसमन्द** **सुखदेव बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.05.2022	**खण्डपीठ** **श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री जे0के0पारीक, अभिभाषक अपीलांट श्री शंकर लाल चौधरी, राजकीय अभिभाषक **निर्णय** यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय भू प्रबनध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर दिनांक 31. 05.2004 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत खातेदारी अधिकारी व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि साबिक आराजी नंबर 212 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि थी किन्तु हाल जमाबंदी में आराजी नंबर 478 रकबा 1.2200 एयर, आराजी नंबर 612, 479, एवं 611 जो साबिक नंबर 212 से बने है, सहववन से वादीगण के नाम कवेल आराजी नंबर 478 व 612 ही दर्ज हुये है जबकि आराजी 479 रकबा 0.4860 एयर भी दर्ज होना चाहिए था, जबकि उक्त भूमि चारागाह दर्ज कर दी गयी जिस पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने दावा व जबाव दावा के आधार पर तीन तनकीयात कायम की गयी एवं तनकीवार निर्णय करते हुये विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2001 से वादी का वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादीगण/अपीलांट ने अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/3572/2004/राजसमन्द** **सुखदेव बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 31.05.2004 से अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य, दस्तावेज, विधि तथा विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट/वादी ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य, जमाबंदी, खसरा गिदावरी, मिलान क्षेत्रफल एवं साबित व हाल नक्शा ट्रेस से यह साबित किया है कि साबिक आराजी नंबर 212 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि थी किन्तु हाल जमाबंदी में आराजी नंबर 478 रकबा 1.2200 एयर, आराजी नंबर 612, 479, एवं 611 जो साबिक नंबर 212 से बने है, सहवन से वादीगण के नाम कवेल आराजी नंबर 478 व 612 ही दर्ज हुये है जबकि आराजी 479 रकबा 0.4860 एयर भी दर्ज होना चाहिए था, जबकि उक्त भूमि चारागाह दर्ज कर दी गयी जिस पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्य पर पूर्ण विवेचन व विश्लेषण नहीं कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किये है, जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिया सहित कुल 6 दस्तावेज पेश किये जिस पर अपीलीय न्यायालय ने अपना विवेचन व विश्लेषण नहीं देते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में 2020 आर0आर0डी0 पेज 80, 2021 डी0एन0जे0 पेज 412, 2022 आर0आर0टी0 पेज 48, 2020 डी0एन0जे0 पेज 140, 2015 डी0एन0जे0 पेज 1632,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/3572/2004/राजसमन्द** **सुखदेव बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

2021 आर0बी0जे0 पेज 282, आदि न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि गत सेटलमेंट में कायम विवादित रकबा 479 पूर्व से चारागाह दर्ज है, जिसकी पुष्टि डी0डब्ल्यू0 1 के बयानों से की जा सकती है। इस स्थिति मे चारागाह भूमियों पर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विधिक प्रावधानों के आधार पर निजी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट ने अपने प्रकरण के समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके दावा सिद्व हो सके। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वे विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया।

अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि –

‘‘ वादी ने अपने वाद पत्र की कलम संख्या 2 में साबिक आराजी नं0 212 के हाल आराजी नंबर 478 व 612 व आराजी नंबर 479 तथा 611 बनना बताया है जबकि साबिक आराजी के हाल नंबर 478 व 612 बनना तो साबित है किन्तु 479 व 611 साबिक आराजी नंबर 212 से बने है, यह साबित करने में वादी पूर्णतः असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पूर्ण विवेचन करते हुये खसरा नंबर 479 रकबा 0.4860 है0 पर वादी की खातेदारी नही मानी है औरवादी का वाद खारिज कर दिया है, जिससे यह न्यायालय पूर्णतः सहमत है। क्योंकि किसी भी राजस्व दस्तावेज से हाल नंबर 479 साबिक नंबर 212 से बनना साबित नहीं होता है।’’

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/3572/2004/राजसमन्द** **सुखदेव बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इस प्रकार विवादित भूमियों के संबंध में वादी ने यह भूमियां उनके पूर्वजों की खातेदारी में रही हो, उसे प्रमाणित करने के लिए पूर्व के वर्षो में उनकी खातेदारी बाबत जमाबंदी और मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत करके प्रदर्श नहीं करवाया है। किसी भी राजस्व दस्तावेज से हाल नंबर 479 साबिक नंबर 212 से बनना साबित नहीं होता है। इस संबंध में प्रस्तुत सभी राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस से भी विवादित भूमियां वादीगण/अपीलांट के पूर्व की खातेदारी में होना सिद्व नहीं होकर यह राजस्व रिकार्ड में राजकीय/चारागाह भूमियां दर्ज होना ही प्रमाणित होता है। इस स्थिति में चारागाह भूमियों पर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विधिक प्रावधानों के आधार पर निजी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार दिया जाना विधि विरूद्व की श्रेणी में आता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में पूर्ण जांच व परीक्षण कर समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये है, जो विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

परिणामतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 31.05.04 व 24.11.2001 बहाल रखे जाते है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष